66 गिरफ्तारियों में 45 गैर-श्रमिक

आगजनी-भड़काने में बाहरी तत्वों की भूमिका

साजिश रचने के आरोप में अब तक 4 गिरफ्तार

लखनऊ/नोएडा, 16 अप्रैल. उत्तर प्रदेश के नोएडा में हालिया श्रमिक आंदोलन के दौरान फैली हिंसा और अराजकता को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं.

प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि यह महज श्रमिक असंतोष का मामला नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसमें बाहरी तत्वों की सक्रिय भूमिका रही.

सूत्रों के अनुसार, अब तक हुई 66 गिरफ्तारियों में से 45 लोग ऐसे पाए गए हैं, जो वास्तविक श्रमिक नहीं हैं.आगजनी की घटनाओं में चिन्हित 17 लोगों में से 11 को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 8 गैर-श्रमिक हैं.वहीं, भड़काने के आरोप में चिन्हित 32 में से 19 को हिरासत में लिया गया है.इसके अतिरिक्त 34 ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है, जो श्रमिक न होते हुए भी प्रदर्शन में शामिल होकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे.जांच एजेंसियों के मुताबिक, साजिश रचने के आरोप में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिनके कुछ संगठित नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है.

> मामले में कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल्स और बाहरी राज्यों से आए लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है .सूत्रों का दावा है कि नोएडा के औद्योगिक ढांचे को प्रभावित करने के लिए व्यापक स्तर पर योजना बनाई गई थी .हिंसा के दौरान आगजनी, पथराव और उकसावे की घटनाओं में शामिल कई लोग स्थानीय श्रमिक नहीं थे, बल्कि बाहर से आए तत्व थे, जिनका उद्देश्य औद्योगिक माहौल को अस्थिर करना था .स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने तत्काल सख्त कदम उठाए. पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से कुछ ही घंटों में हालात पर काबू पा लिया गया.

महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव 12 मई को

नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की नौ सीटों के लिए द्वैवार्षिक चुनाव 12 मई को कराये जाने की गुरुवार को घोषणा की इन सीटों के लिए निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है।

आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना 23 अप्रैल को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र 30 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 2 मई को की जाएगी और नाम 4 मई तक वापस लिए जा सकेंगे।

आवश्यकता पड़ने पर मतदान 12 मई को सुबह 9-00 बजे से शाम 4-00 तक कराया जाएगा। मतों की गिनती मतदान के बाद उसी दिन कराई जाएगी और चुनाव प्रक्रिया 13 मई से पहले संपन्न कर ली जाएगी.

महाराष्ट्र विधान परिषद के जिन 9 सदस्यों का कार्यकाल अगले माह पूरा हो रहा है उनमें सर्वश्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे, संजय कृष्ण राव केनेकर, नीलम दिवाकर गोढ़े, संदीप दिवाकर जोशी, दादा राव यादव राव केचे, अमूल रामकृष्ण मितकरी, रंजीतसिंह विजयसिंह मोहिते- पाटील, राजेश धोंडीराम राठौड़ और शशिकांत जयवंतराव शिंदे शामिल हैं.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	85570101	संपत्ति के बदले ऋण	30.03.2026	8,29,239.43/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नामः 1. धर्मराज नारायण 2. मुन्ना बाई यादव 3. नारायण यादव

संपत्ति का पताः मकान संख्या 85 का वह पूरा टुकड़ा और भाग, जिसका कुल क्षेत्रफल 133.81 वर्ग मीटर या 1440 वर्ग फुट है, जो सर्वे संख्या 540, पीएच नं. 42, ग्रामः निपानिया, ग्राम पंचायतः निपानिया, वार्ड संख्या 2, तहसीलः सुनसर, जिलाः अगर, मध्य प्रदेश-465447 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में रास्ता, पश्चिम में शिवलाल का घर, उत्तर में स्वयं की भूमि, दक्षिण में मेहरबान का घर।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांकः 17.04.2026
स्थानः मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

साइबर धोखाधड़ी का भंडाफोड़

बैंक कर्मचारी सहित तीन लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली 16 अप्रैल. दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत एक बड़े साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक बैंक कर्मचारी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.यह रैकेट म्यूल बैंक खातों के जरिए संचालित होता था.म्यूल खाते, ऐसे खाते होते हैं जिन्हें अपराधी फर्जी ढंग से खुलवाते हैं और ठगी की रकम उसमें रखते हैं। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) राजीव कुमार ने बताया कि यह मामला एक ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत के बाद प्रकाश में आया, जिसमें एक पीड़ित के खाते से 10,000 रुपये निकाले गए थे.जांच के दौरान मयूर विहार स्थित एक निजी बैंक शाखा में एक संदिग्ध म्यूल खाते की पहचान हुई.यह खाता साइबर धोखाधड़ी की कई अन्य शिकायतों से भी जुड़ा पाया गया.पुलिस टीम ने केवाईसी दस्तावेजों और लेनदेन के पैटर्न का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद सबसे पहले खाताधारक शौकीन को पकड़ा.

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम | A Government of India Undertaking | सिंडिकेट Syndicate

प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड़, बैंगलूर - 562002
क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर फोन: 70499 19126

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **केनरा बैंक, नवलखा शाखा, इंदौर** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन **अधिनियम** 2002 की धारा के अंतर्गत, सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) **अधिनियम 2002 का अधिनियम संख्यांक 54** के साथ पठित, **सेक्शन 13 (12) नियम 3** के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को नोटिस जारी कर ऋणियों को नोटिस की तारीख/ नोटिस प्राप्ति को तारीख से **60 दिन** के अंदर उक्त खाते के सामने दर्शाई गई राशि अदा करने के लिए कहा था। ऋणी उक्त राशि चुकाने में असफल रहा है अत: ऋणियों तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट के सेक्शन **13 (4)** उक्त एक्ट के साथ पठित उक्त रूल्स के नियम **9** के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित संपत्ति का कब्जा उक्त खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को ले लिया है। एतद् द्वारा ऋणियों को विशेष एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि उक्त संपत्ति विषयक कोई संव्यवहार न करें ऐसा कोई भी संव्यवहार वसूल की जाने वाली उल्लेखित राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्चों हेतु **केनरा बैंक, नवलखा शाखा, इंदौर** के प्रभार के अधीन रहेगा।

क्रं.	शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	ऋणी/जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	मांग नोटिस की बकाया राशि (₹)	मांग नोटिस की दिनांक / कब्जा लेने/चस्पा करने की दिनांक
1	नवलखा शाखा, इन्दौर 8989989141	श्री राहुल रावत पिता रविन्द्र सिंह रावत, श्रीमती ज्योत्सना पति राहुल रावत एवं श्री रविन्द्र सिंह पिता योहान (ऋणी)	1. प्लाट नं. 219 पर स्थित रहवासी मकान, श्री विनायक टाउनशिप एनेक्स, ग्राम देवुराड़िया, इन्दौर (म.प्र.) 452016, **क्षेत्रफल: 1500 वर्गफीट, सीमाएं: उत्तर:** प्लाट नं. 220, **दक्षिण:** प्लाट नं. 218, **पूर्व:** प्लाट नं. 222, **पश्चिम:** कॉलोनी की सड़क 2. प्लाट नं. 220 पर स्थित रहवासी मकान, श्री विनायक टाउनशिप एनेक्स, ग्राम देवुराड़िया, इन्दौर (म.प्र.) 452016, **क्षेत्रफल: 1647 वर्गफीट, सीमाएं: उत्तर:** अन्य भूमि, **दक्षिण:** प्लाट नं. 219, **पूर्व:** प्लाट नं. 221, **पश्चिम:** कॉलोनी की सड़क	**76,28,221.62** + दिनांक 08.01.2026 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे	06.02.2026 13.04.2026

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 16.04.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
उज्जैन शाखा: 06/प्रथम मंजिल, कमला नेहरू मार्ग, फ्रीगंज, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, शहीद पार्क के पास, उज्जैन 456010 (म.प्र.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ)(शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 02010001203/ उज्जैन शाखा) दुर्जन सिंह राजपूत (ऋणी) मोहन कुंवर (सह-ऋणी)	संपति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ मकान नं. एसएच 366 संदीपनीनगर, दारु गोदम रोड़ के साईड में, वार्ड नं. 17, उज्जैन मध्य प्रदेश 456001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - रोड़, पश्चिम - मकान नं. एस.एच. 359, उत्तर - मकान नं. एस.एच. 367, दक्षिण - मकान नं. एस.एच. 365	09-01-2026 एवं ₹ 10,57,247/-	15-04-2026

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 17-04-2026

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

अनिल अंबानी को सुको से राहत नहीं

नई दिल्ली, 16 अप्रैल. उच्चतम न्यायालय ने अनिल अंबानी की उस याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें बैंकों को उनके ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई थी. यह मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले से संबंधित है जिसमें दो बैंकों को अनिल अंबानी के लोन खाते को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने की अनुमति दी गई थी. अदालत ने दिसंबर 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें अनिल अंबानी को अंतरिम राहत दी गई थी.मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने टिप्पणी की कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का आदेश उस मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा जिसका फैसला होना बाकी है और उच्च न्यायालय से मामले का शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध किया.

नोटिस सूचना पत्र द्वारा तामिली

न्यायालय श्री रोशन राय, अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर

क्रमांक /647/

प्रकरण क्रमांक 0 / बी-121 / 2025-26
इन्दौर, दिनांक 13/04/2026

प्रति,
1. श्री किशोर दत्त पिता स्व. श्री परशुराम दत्त
2. श्री प्रफुल दत्त पिता श्री किशोर दत्त
पता - जी2, स्वामी कॉम्पलेक्स राज टाकीज कॉम्पलेक्स छावनी, जिला इन्दौर
पता - 201, तपस्या अपार्टमेंट, 31/3, गणेश कॉलोनी रामबाग इन्दौर
पता - चिमनबाग चौराहा 60 जेल रोड नन्द भवन जिला इन्दौर
पता - फ्लेट न. 303, 3 फ्लोर श्री श्याम हेरिटेज प्लाट न. ए 11 शंकेश्वर सिटी ग्राम जाख्या तहसील सावेंर जिला इन्दौर
द्वारा :- तहसीलदार इन्दौर / सावेर / स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक
विषयः - प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बकाया राशि के विरूद्ध सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने के प्रकरण में उपस्थिति बाबद सूचना।.
प्रार्थी संस्था यस बैंक लिमिटेड शाखा पता - वार्ड न. 08, आर.एम टॉवर, म्यूसिपल न. 269, गोराकुंज चौराहा, महात्मा गाँधी रोड नियर राजवाडा, इन्दौर म.प्र. द्वारा निवेदन किया कि आपके द्वारा लिये ऋण का चुकारा नहीं किया गया जो इस प्रकार है:-

13 (2) के अनुसार वसूली हेतु योग्य राशि	बंधक सम्पति का विवरण
18,51,536.12/-	फ्लेट न. 303, 3 फ्लोर श्री श्याम हेरिटेज पलाट न. ए-11 शंकेश्वर सिटी ग्राम जाख्या तहसील सावेंर जिला इन्दौर

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूति के रूप में रखी गई सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे। अतः इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई अपर जिला दण्डाधिकारी इंदौर (नवीन प्रशासनिक संकुल मोती तबेला रूम नं. 109) के न्यायालय में दिनांक **17/04/2026** को 3.00 बजे होगी। आप अपना जवाब व सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित उपस्थित रहे। अनुपस्थिति की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला इंदौर (म.प्र.)

नोटिस सूचना पत्र द्वारा तामिली

न्यायालय श्री रोशन राय, अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर

क्रमांक/644/

प्रकरण क्रमांक 0 / बी-121 / 2026-27
इन्दौर, दिनांक 10/04/2026

प्रति,
1. अंकित अवस्थी पिता श्री रामेश्वर अवस्थी (म.प्र.)
2. अशुल अवस्थी पिता श्री रामेश्वर अवस्थी
3. श्री रामेश्वर अवस्थी पिता सूरज प्रसाद अवस्थी
पता- मकान न. 104. सेक्टर ए. सिलिकॉन सिटी, क्लब हाउस के पास जिला इन्दौर
पता- 148. हुकमाखेडी आई.पी.एस. एकेडमी के पास गमले वाली पुलिया ए.बी. रोड जिला इन्दौर
पता - दक्षिण हिस्से का प्लाट 104 सिलिकॉन सिटी ग्राम निहालपुर मुडी तह. व जिला इन्दौर
द्वारा:- तहसीलदार इन्दौर / सावेर / स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक
विषयः- प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बकाया राशि के विरूद्ध सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने के प्रकरण में उपस्थिति बाबद सूचना
प्रार्थी संस्था यस बैंक लिमिटेड शाखा पता वार्ड न. 08, आर.एम टॉवर, म्यूसिपल न. 269, गोराकुंज चौराहा, महात्मा गाँधी रोड नियर राजवाडा, इन्दौर म.प्र.द्वारा निवेदन किया कि आपके द्वारा लिये ऋण का चुकारा नहीं किया गया जो इस प्रकार है:-

13 (2) के अनुसार वसूली हेतु योग्य राशि	बंधक सम्पति का विवरण
22,77,474.84/-	दक्षिण हिस्से का प्लाट 104 सिलिकॉन सिटी ग्राम निहालपुर मुडी तहसील व जिला इन्दौर

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूति के रूप में रखी गई सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे अतः इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई अपर जिला दण्डाधिकारी इंदौर (नवीन प्रशासनिक संकुल मोती तबेला रूम नं. 109) के न्यायालय में दिनांक **21/04/2026** को 3.00 बजे होगी। आप अपना जवाब व सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित उपस्थित रहे। अनुपस्थिति की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला इंदौर (म.प्र.)

CENTRUM Home Loans — डिमांड नोटिस

Aao milkar ghar banaye

कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098, सीआईएन नंबर U65922MH2016PLC273826

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ की धारा १३(२) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३ (१) के साथ पठित

अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं. उक्त अधिनियम की धारा १३ (१२) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३ के साथ पठित, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा १३ (२) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं (उक्त उधारकर्ता) से राशि वापस करने का आह्वान किया गया है. उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से ६० दिनों के भीतर सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, साथ ही उक्त डिमांड नोटिस में विस्तृत रूप से देय राशि के पूर्ण पुनर्भुगतान की तारीख तक ब्याज और अन्य शुल्क भी देना होगा. नीचे उल्लिखित तारीखों से लेकर भुगतान और / या वसूली की तारीख तक, उक्त उधारकर्ताओं द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों / लिखित दस्तावेजों, यदि कोई हो, के साथ पठित ऋण समझौते के तहत देय ऋण की देय चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उधारकर्ताओं द्वारा सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को गिरवी रखा गया है

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या/उधारकर्ता (ओं)/सह-उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	कुल बकाया राशि (रु.)	एनपीए दिनांक / सेक. 13(2) नोटिस दिनांक / एफसीएल दिनांक	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1	UDRMD24019111 / चंपालाल पाटीदार/ गायत्री बाई	रू. 9,26,824.00 (नौ लाख छब्बीस हजार आठ सौ चौबीस मात्र)	08-02-2026 26-03-2026 27-02-2026	मकान संख्या 242, क्षेत्रफल 2160 वर्ग फुट, वार्ड संख्या 02, सार्वजनिक गृह संख्या 42, ग्राम पंचायत एवं ग्राम-इशाकपुर, तहसील एवं जिला-मंदसौर-458895, मध्य प्रदेश में स्थित अचल संपत्ति के अधिकार, भाग एवं अंश में। सीमाएँ:- पूर्वः आम रास्ता पश्चिमः मनोहर राठौर पुत्र रामेश्वर राठौर का घर उत्तरः स्वयं की भूमि दक्षिणः प्रकाश एवं रामेश्वर राठौर का घर
2	IDRRM18002881 / खेमराज लालवानी/ प्रिया लालवानी	रू. 10,90,580.00 (दस लाख नब्बे हजार पाँच सौ अस्सी मात्र)	10-03-2026 09-04-2026 30-03-2026	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और पार्सल में आवासीय मकान शामिल है भूमि सर्वेक्षण संख्या 1716 (भाग) (पुराना), नया भूमि सर्वेक्षण संख्या 145/मिन-35/मिन-2, क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट, शिक्षक कॉलोनी, ग्राम -दलोदा चौपाटी, जिला -मंदसौर-458001, मध्य प्रदेश। सीमाएँ: पूर्वः गली, पश्चिमः सड़क, उत्तरः अन्य व्यक्ति का निवास, दक्षिणः सुशीलाबाई का निवास
3	IDRUJ22007872 और IDRUJ24015582/शिव मालविया/निकिता मालविया	रू. 10,75,090.00 (दस लाख पिचहत्तर हजार नब्बे मात्र)	05-03-2026 09-04-2026 21-03-2026	प्लॉट संख्या A-02, ब्लॉक C, भाग भूमि सर्वेक्षण संख्या 101/1/2/7 और 101/1/2/2, क्षेत्रफल 65.05 वर्ग मीटर, ग्राम-मोहनपुरा, तहसील-घट्टिया, जिला-उज्जैन-456003, मध्य प्रदेश में स्थित अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और पार्सल में। सीमाएँ:- पूर्वः प्लॉट संख्या A-01, ब्लॉक C पश्चिमः सेंगर की भूमि उत्तरः उज्जैन अंबोदिया मार्ग दक्षिणः प्लॉट संख्या 01, ब्लॉक C
4	UDRNM23013230 / गोपी बंजारा/ संतोष बाई	रू. 5,57,812.00 (पांच लाख सत्तावन हजार आठ सौ बारह मात्र)	10-03-2026 09-04-2026 28-03-2026	मकान संख्या 56, वार्ड संख्या 13, PHN 08, क्षेत्रफल 3074 वर्ग फुट, छरठ 1908, ग्राम-झरदा मोतीपुरा, तहसील- मल्हारगढ़, जिला- मंदसौर-458553, मध्य प्रदेश स्थित अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में। सीमाएँ:- पूर्वः सड़क, पश्चिमः स्वयं का खेत, उत्तरः विनोद का घर, दक्षिणः हीरालाल का घर, पुत्र श्री रामचंद्र।
5	UDRNM23013619 / सत्यनारायण गुर्जर/ रत्नी बाई गुर्जर	रू. 11,60,257.00 (ग्यारह लाख साठ हजार दो सौ सत्तावन मात्र)	10-03-2026 09-04-2026 28-03-2026	अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल में मकान संख्या-67, वार्ड संख्या-12, पीएचएन-30, एडमिन. 160.31 वर्गमीटर, आबादी सर्वे नंबर 92, जीपी-खातीखेड़ा, ग्राम-चाडीचड़ा, ब्लॉक-जावद, तहसील-सिंगोली, जिला-नीमच-458226, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्व : पति कालूराम भील पश्चिम : आम रास्ता उत्तर : पति गोपाललाल गुर्जर दक्षिण : पिता नानूराम गुर्जर
6	UDRNM23014447 / जगदीश रावत/ मांगी बाई मीना	रू. 8,19,092.00 (आठ लाख उन्नीस हजार बानवे मात्र)	10-03-2026 09-04-2026 28-03-2026	मकान संख्या 362, सर्वे संख्या 160, क्षेत्रफल 55.76 वर्ग मीटर, पीएच नं. 14, ग्राम- बोरखेड़ी, तहसील- जवाद, जिला- नीमच-458470, मध्य प्रदेश स्थित अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और हिस्से में। सीमाएँ:- पूर्वः शंकरलालजी का घर, पश्चिमः आम रास्ता उत्तरः आम रास्ता, दक्षिणः आम रास्ता
7	UDRNM24014637 / मंगल सिंह बोराणा/ पूजा बाई	रू. 8,05,116.00 (आठ लाख पाँच हजार एक सौ सोलह मात्र)	10-03-2026 09-04-2026 04-04-2026	सर्वे संख्या 362, पीएच. नं. 39, प्रशासनिक क्षेत्रफल 750.46 वर्ग मीटर, ग्राम-छायां, जिला- मच-458441, मध्य प्रदेश स्थित अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और पार्सल में। सीमाएँ:- पूर्वः रास्ता, पश्चिमः पद्म सिंह का गृह, उत्तरः रास्ता, दक्षिणः स्वयं की भूमि
8	UDRNM24014847 / मुकेश मुकेश / बतुल बंजारा	रू. 11,41,493.00 (ग्यारह लाख इकतालीस हजार चार सौ तिरानवे मात्र)	10-03-2026 09-04-2026 04-04-2026	पीएच वाले अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल में। नंबर 40, प्रशासन। 1710 वर्गफीट, ग्राम-कुनी खंभा, ग्राम पंचायत-भेरपुरा, तहसील- मनासा, जिला-नीमच-458110, मध्य प्रदेश. सीमाएँ:- पूर्वः शांतिलाल पुत्र दल्ला की भूमि, पश्चिमः आम सड़क उत्तरः शांतिलाल पुत्र दल्ला की भूमि, दक्षिणः मदनलाल पुत्र प्रेमा का घर
9	UDRNM24015247 / महेंद्र सिंह / रेखा रेखा	रू. 7,50,072.00 (सात लाख पचास हजार बहत्तर मात्र)	10-03-2026 09-04-2026 04-04-2026	म.सं.125, ख.सं.394, क्षेत्रफल 3484 वर्ग फुट, पीएचनं.27, ग्राम- चावंडिया, ग्राम पंचायत- दोराई, जनपद पंचायत- जावड़, तह.-सिंगोली, जिला- नीमच-458226, म.प्र. में स्थित अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में। सीमाएँ:- पूर्वः रतनलाल का घर पश्चिमः सड़क उत्तरः पक्का रोड दक्षिणः स्वयं की खुली भूमि
10	UDRNM24015246 / शम्भू भील/ रुकमनी बाई	रू. 4,62,729.00 (चार लाख बासठ हजार सात सौ उनतीस मात्र)	10-03-2026 09-04-2026 06-04-2026	मकान संख्या 65, खसरा संख्या 205, वार्ड संख्या 03, क्षेत्रफल 2430 वर्ग फुट, ग्राम- बिसलवास कलां, तहसील एवं जिला- नीमच-458441, मध्य प्रदेश स्थित अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में। सीमाएँ:- पूर्वः भेरूलाल पाटीदार का भूखंड, पश्चिमः साझा सड़क, उत्तरः रतनलाल भील का भूखंड, दक्षिणः भेरूलाल पाटीदार की सड़क
11	UDRNM24015907 / मदन लाल / भारती देवी मेघवाल	रू. 6,13,329.00 (छह लाख तेरह हजार तीन सौ उनतीस मात्र)	10-03-2026 09-04-2026 06-04-2026	"अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और हिस्से में मकान संख्या 164, वार्ड संख्या 07, 918 वर्ग फुट क्षेत्रफल, आबादी सर्वेक्षण संख्या 1139, ग्राम-मोदी, तहसील-जावड़, जिला-नीमच-458226, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्वः प्रभुलाल मेघवाल का घर, पश्चिमः साझा सड़क उत्तरः बद्रीलाल मेघवाल का घर, दक्षिणः साझा सड़क"
12	UDRNM24018338 / प्रकाश चन्द्र/ ललिता बाई	रू. 6,71,947.00 (छह लाख इकहत्तर हजार नौ सौ सैंतालीस मात्र)	10-03-2026 09-04-2026 07-04-2026	"म.प्र. के नीमच जिले में स्थित, पीएचएन 25, भूमि सर्वेक्षण संख्या 720, क्षेत्रफल 286.24 वर्ग मीटर, ग्राम-मोरवान, तहसील जवाद, जिला नीमच-458220, अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और हिस्से में। सीमाएँ:- पूर्वः आम रास्ता, पश्चिमः रतनलाल बंजारा का घर, उत्तरः चंदू बंजारा का घर दक्षिणः स्वयं की खुली भूमि"
13	UDRMD24018638 / विनोद सिंह सोंदिया/ मंजू बाई सोंदिया	रू. 9,19,758.00 (नौ लाख उन्नीस हजार सात सौ अट्ठावन मात्र)	10-03-2026 09-04-2026 07-04-2026	मकान संख्या 177, क्षेत्रफल 1582 वर्ग फुट, वार्ड संख्या 05, ग्राम-लिदा, तहसील एवं जिला-मंदसौर-458558, मध्य प्रदेश स्थित अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में। सीमाएँ:- पूर्वः दिलीप पुत्र ईश्वर का भूखंड; पश्चिमः सोहनबाई पत्नी रतनलाल; उत्तरः हरिसिंह पुत्र नथुसिंह; दक्षिणः सड़क
14	UDRNM24019303 / रतनलाल गायरी/ कारिबाई कारिबाई	रू. 3,59,424.00 (तीन लाख उनसठ हजार चार सौ चौबीस मात्र)	10-03-2026 09-04-2026 08-04-2026	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और पार्सल में, पीएचएन 07, भूमि सर्वेक्षण संख्या 926, क्षेत्रफल 223.04 वर्ग मीटर, ग्राम पंचायत- बावल नाई, ग्राम- गरियाव्यास, तहसील- जवाद, जिला- नीमच-458330, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्वः मोहनलाल का घर, पश्चिमः बागदीराम का घर उत्तरः स्वयं की भूमि / साझा सड़क, दक्षिणः रामरतन का घर
15	UDRMD24019548 / नरेंद्र सिंह चौहान / पवन कुंवर	रू. 17,18,205.00 (सत्रह लाख अठारह हजार दो सौ पांच मात्र)	10-03-2026 09-04-2026 08-04-2026	मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर, जिला डोरवाड़ा, तहसील मलहरगढ़ में स्थित फ्लैट संख्या 112, खसरा संख्या 1222, क्षेत्रफल 1170 वर्ग फुट, अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में। सीमाएँ:- पूर्वः आम रास्ता पश्चिमः कमल सिंह पुत्र धुले सिंह का गृह उत्तरः महेंद्र सिंह पुत्र बापू सिंह का गृह दक्षिणः स्वयं की भूमि
16	UDRMD24020135 / रुक्मण बाई (कानूनी) लेफ्टिनेंट स्व. सत्यनारायण धाकड़) के उत्तराधिकारी / कानूनी उत्तराधिकारी लेफ्टिनेंट स्व. सत्यनारायण धाकड़)	रू. 5,71,088.00 (पांच लाख इकहत्तर हजार अठासी मात्र)	05-03-2026 09-04-2026 08-04-2026	वार्ड संख्या 05, प्रशासनिक क्षेत्रफल 2664 वर्ग फुट, ग्राम पंचायत एवं ग्राम-पड़लिया मारू, तहसील एवं जिला मंदसौर-458558, मध्य प्रदेश में स्थित अचल संपत्ति के अधिकार, भाग एवं अंश में। सीमाएँ:- पूर्वः राकेश एवं महेश का गृह, पश्चिमः शिवनारायण का बाड़ा, उत्तरः बापू दास बैरागी का गृह, दक्षिणः सड़क
17	UDRMD25020831 / विनोद कुमार / ललिता बाई	रू. 11,46,534.00 (ग्यारह लाख छियालीस हजार पाँच सौ चौंतीस मात्र)	05-03-2026 09-04-2026 09-04-2026	खसरा संख्या 368 (बी), प्लॉट संख्या 45 (पी), क्षेत्रफल 159 वर्ग मीटर, पीएच संख्या 0008, ग्राम - कचरिया कदमला, तहसील - मलहरगढ़, जिला - मंदसौर-458556, मध्य प्रदेश स्थित अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में। सीमाएँ:- पूर्वः प्रकाश पुत्र बागदीराम, पश्चिमः कमल सिंह पुत्र भेरू सिंह, उत्तरः बागदीराम का घर और मंदिर, दक्षिणः साझा सड़क

यदि उक्त उधारकर्ता सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से लागत और परिणामों के रूप में उक्त उधारकर्ताओं के जोखिम पर होगी। उक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम के तहत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थानः मध्यप्रदेश, दिनांक : 17.04.2026 — एसडी/- सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए अधिकृत अधिकारी

जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव

ई-निविदा क्र. ४/२०२६-२७ (फेरनिविदा)

जळगाव शहर व परिसरात ई वसेसच्या दैनंदिन दळणवळणासाठी वाहक पुरविणेकामी पुरवठादार यांची नेमणूक करणेबाबत, जळगाव शहर महानगरपालिका जळगाव यांच्याकडून निविदा मागविण्यात येत असून या कामासंबंधीची सविस्तर तपशील https://mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

दिनांक १५/०४/२०२६

सही/-
आयुक्त, करिता
जळगाव शहर महानगरपालिका,
जळगाव

प्रोफार्मा सं. IV
(नियम 5 के उप-नियम (2A) को देखें)
समन/नोटिस (समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा) (ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2A) सहपठित अधिनियम की धारा 19 के उप-खंड (4) के अंतर्गत)

DEBT RECOVERY TRIBUNAL, JABALPUR
2nd & 3rd Floor BSNL Building, Near Head Office, Post Office Civil Lines, JABALPUR (M.P.) - 482001
Case No. O.A. No. / 628 / 2024

दिनांक : ....

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल पश्चिम, मुंबई - 400013
शाखा कार्यालय सहित अन्य स्थानों परः एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, सिविल लाइन शाखा, जबलपुर, जिला - जबलपुर
अधिकृत अधिकारी के माध्यम से: **Mr. Shubham Kesharwani** — आवेदक

बनाम

1. **श्री आशीष धारीवाल, पिता रामनिकाल प्यारचंद धारीवाल पता:** 401, वरुण टॉवर, 1/3 मीरा पथ रोड, इंदौर- 452001, मध्य प्रदेश **(उधारकर्ता)**
2. **श्रीमती संगीता धारीवाल, पत्नी कांतिलाल जैन पता:** 65, शिक्षक नगर, एयरपोर्ट रोड, इंदौर- 452006, मध्य प्रदेश **(सह-उधारकर्ता)** — **प्रतिवादीगण**

जबकि उपर्युक्त वाद **ओ.ए. सं. 628/2024** इस अधिकरण के समक्ष माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है, अतः आप सभी प्रतिवादीगण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त वाद की सुनवाई **दिनांक 06/06/2024** की निर्धारित की गई है।

जबकि यह माननीय अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 19 (4) के अंतर्गत दायर आवेदन में, आप के विरुद्ध ऋण वसूली हेतु **₹ 1,70,96,287.50 /-** ब्याज (आवेदन की तिथि तक), व्यय तथा भावी ब्याज सहित, संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपियों (अनुलग्नक सहित) के साथ, समन/नोटिस जारी करना उचित समझा गया है।

अतः अधिनियम की धारा 19 के उप-खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार, आपको निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :-

i. आप इस समन/नोटिस की तामील की तिथि से **30 (तीस) दिवस** के भीतर कारण बताएं कि आवेदन में मांगी गई राहत क्यों न प्रदान की जाए;
ii. आप आवेदक द्वारा मूल आवेदन के **क्रमांक 3 (क)** में उल्लिखित संपत्तियों/आस्तियों के अतिरिक्त, अपनी अन्य समस्त चल एवं अचल संपत्तियों अथवा आस्तियों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें;
iii. आप मूल आवेदन के **क्रमांक 3 (क)** में उल्लिखित अथवा प्रकट की गई सुरक्षित संपत्तियों/ आस्तियों अथवा अन्य किसी भी संपत्ति के संबंध में, इस अधिकरण में सुनवाई एवं संपत्ति की कुर्की/निपटान लंबित रहने की अवधि के दौरान, किसी भी प्रकार का लेन-देन, हस्तांतरण अथवा निपटान नहीं करेंगे;
iv. आप व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बिक्री, पट्टा या अन्य किसी भी माध्यम से, उन संपत्तियों अथवा आस्तियों का हस्तांतरण नहीं करेंगे जिन पर सुरक्षा हित सृजित है अथवा जो मूल आवेदन के **क्रमांक 3 (क)** में निर्दिष्ट या प्रकट की गई हैं, जब तक कि इस माननीय अधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त न हो;
v. आप व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में प्रतिभूतियों, आस्तियों अथवा अन्य संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि का पूरा लेखा-जोखा रखने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा ऐसी समस्त बिक्री-राशि को उस बैंक/वित्तीय संस्था के खाते में जमा करेंगे, जिसके पास उक्त आस्तियों पर सुरक्षा हित विद्यमान है।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप अपना रिटर्न विवरण **(Return Statement)** उसकी एक प्रति आवेदक को प्रदान करते हुए, **दिनांक 05/05/2026 को प्रातः 10:30 बजे** रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। ऐसा न करने की स्थिति में, उक्त आवेदन को आपकी अनुपस्थिति में सुनकर निर्णयित किया जा सकता है।

आदेश - यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मुहर सहित, **दिनांक 9 अप्रैल सन् 2026** को पारित किया गया।

अधिकरण के आदेश से

Registrar
Debt Recovery Tribunal, Jabalpur